


छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा,
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //



क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42 :: राज्य शासन, एतद्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सहायक कर्मशाला अधीक्षक, प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- +ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई) एवं समय समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है:-

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	प्रस्तावित पदस्थापना
1	2	3
1	भूपेश साहू	शासकीय सह शिक्षा पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
2	रोशन लाल कैवर्त	शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा
3	अभिषेक शुक्ला	शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज
4	कैलाश नारायण गुप्ता	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
5	योगेश सलेचा	शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर
6	हितेश कुमार देवांगन	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर
7	देवराज पटेल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया
8	सालिक राम ढीमर	शासकीय पॉलीटेक्निक, सुकमा
9	ललित कुमार साहू	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद
10	विवेक अग्रवाल	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
11	प्रकाश विभोर बघेल	शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर चांपा
12	गौरी शंकर खाण्डे	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर
13	नवन किशोर पटेल	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
14	जितेन्द्र सिंह लहरे	शासकीय पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार
15	दीपक ध्रुव	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
16	पूजा आदित्य	शासकीय पॉलीटेक्निक, मुंगेली

2/ उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होंगी:-

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम -1988 के नियम -12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा कमशः.....2 पर

श्री. वि. मा. क.
श्री. रा. क.
संचाल. की वे. स. क.
श्री. उ. मा. क.
५५
०१/१२/१६

